सामूहिक पदयात्रा

क्यों

• •

और

कैसे

• • •

ठाकुरदास बंग

• • •

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

१ सामूहिक पदयात्राओं की आवश्यकता

हिंदुस्तान मे भूदान यज्ञ को आरभ हुए पाच वर्ष से अधिक हो गए है। अब देश मे हजार-दो-हजार कार्यकर्ता पूरा समय देकर काम कर रहे है। कार्यकर्ता उत्साह से आदोलन मे आते हैं। चांडिल मे, बोधगया मे या पुरी में आवाहन हुआ, विनोबाजी का या जयप्रकाशजी का भाषण सुना, भूदान-यज्ञ का अच्छा साहित्य पढा और इसके फलस्वरुप भूदान-यज्ञ मे काम करने की इच्छा हुई। काम भी उत्साह से कुछ दिन किया। लेकिन काम में प्रगति नही हो रही थी। जयप्रकाशजी, शकररावजी, सत तुकडोजी आदि महानुभावों के दौरे करवाए। उससे काम में कुछ गति आई। लेकिन ज्योही उनके दौरे समाप्त हुए, त्योही साधारण कार्यकर्ता और गहरी निराशा में डूब जाता था। भूदान प्राप्त करना केवल बडे आदमी का ही काम है ऐसी प्रतिक्रिया उसके दिल पर होती थी। राजनैतिक पार्टीके लोगो से नगण्य-सी मदद मिलती थी। कभी-कभी विरोध भी होता था। जिले मे घूमते-घूमते सप्ताह पर सप्ताह एव मास पर मास निकल जाते थे। लेकिन भूमि-प्राप्ति मे, कार्यकर्ताओ को जुटाने में कोई खास प्रगति नही होती थी। तब कार्यकर्ता निराश होते थे। तब उनकी समझमें नही आता था कि क्या किया जाय?

बार-बार निष्फल प्रयत्न करने वाला कार्यकर्ता निराशा की खाई में तो डूब जाता ही है, साथ ही साथ उससे भूदान के काम को भी ठेस पहुचती है। कार्यकर्ता आने पर भूमिदान-सपत्तिदान दिये बगैर उन्हे टालने की लोगो को आदत लगती है। सामान्य जनता इस मार्ग पर अविश्वास भी करने लगती

है। नये कार्यकर्ता आने की हिम्मत नहीं करते हैं और पुराने कार्यकर्ता भी धीरे-धीरे काम छोड देते हैं। निष्फल काम करने से इस तरह हालत दिन-ब-दिन बदतर होती चली जाती है। कार्यकर्ताओ मे ग्लानि आकर वे जड बन जाते है। ऐसे अधूरे निष्फल प्रयत्न करनेके बजाय कुछ न करना ही अच्छा है।

ऐसी हालत में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता थे। अन्य स्थानों के भी रहे होंगे। तब १९५३ के अगस्त में मध्यप्रदेशके कार्यकर्ताओ ने सोचा कि हम अकेले-अकेले काम नही कर सकते। हम सब मिलकर काम करेगे। उसके बाद तो १९५४, ५५ मे सामूहिक छुटपुट प्रयोग चले। अक्तूबर १९५५ से लगातार सामूहिक पदयात्राएँ हुई। नतीजे आश्चर्यजनक आए है।

सामूहिक पदयात्रा वरदान है

तबसे मध्यप्रदेश मे सामूहिक पदयात्रा की कल्पना चल पडी है। सामूहिक पदयात्राके लिए २०-२५ टोलियों मे बँटकर कार्यकर्ता निकल पडते है। इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओ में नई जान आई है। अकेलेपन की निराशा की जगह अेक नया उत्साह, आत्मविश्वास और भाईचारा बढा है। सालभर मे थोडा समय देनेवाले कार्यकर्ताओ के समय और शक्ति का पूरा लाभ मिल जाता है। भूदान के काम को जन-आन्दोलन का रूप प्राप्त होता है, जनता म, आन्दोलन के प्रति श्रद्धा बढती है। और एक अैसा वातावरण बनता है कि आन्दोलन का उपहास करने वाले भी गम्भीरतापूर्वक सोचने लगते हैं। इस सामूहिक पदयात्रा के कारण गाव-गाव में भूदान का सन्देश पहुचता है, साहित्य बिकता ह, भूदान-पत्र के ग्राहक बनते है और अच्छी तादाद में भूमि व सम्पत्ति के दानपत्र मिलते है। इन सब के अलावा एक अच्छा कार्यकर्ता वर्ग तैयार हो जाता है। उनकी सगठन-शक्ति और बौद्धिक योग्यता बढती है और आगे के काम की जिम्मेदारी उठाने के लिये उनको आगे आने का उत्साह मिलता है। तो यह सामूहिक पदयात्रा क्या है? इस तन्त्र को हम जानें। क्योंकि यह एक नई चीज है। इसका तन्त्र धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। यह बात हमारे साथी श्री पाटनकर को सूझी, श्री बद्रीसिंह गाईड ने लगातार प्रयत्न से इसकी सभावनाओं

को प्रकट किया, श्री. आर के पाटील, श्री वसतराव बोबटकर, श्री. जसवतराय आदि अनेकानेक साथियो ने इसके भिन्न-भिन्न अगो को विकसित किया। आज इस प्रयत्न के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में उत्साह की लहर आ गई है। सब कार्यकर्ता इस काम मे भिड गये है। मध्यप्रदेश मे गत ८ माह से नागपुर विभाग के १५ कार्यकर्ताओ ने सामूहिक अखड यात्रा की है। इसलिए इसके तत्र के तफसील मे हम जाये।

● ● ●

२ सामूहिक पदयात्रा का तंत्र

सामूहिक पदयात्राके लाभ हासिल करने के लिये हमे बहुत बडे पैमाने पर पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। जो दीर्घकाल तक कार्यकर्ताओको निष्ठा, श्रम एव कुशलतासे ही सभव हो सकती है। इस प्रकार की पदयात्राओ का कार्यक्रम कम-से-कम एक तालुके मे याने ३०० गावो मे होना चाहिये।

जनसेवकों का सहकार

आज जनसेवक भिन्न-भिन्न पक्ष, पथ मे बट गये है लेकिन सब भूदान के लिये अनुकूल है। उन सबसे व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग मिलकर उनको एक जगह लाना चाहिये। उन सबका इस काम में सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

प्रात के सब से प्रमुख कार्यकर्ताओ मे से किसी को या सामूहिक पदयात्राओ के डिव्हिजन सगठक को पूर्व तैयारी के १५ दिन पूर्व तैयारी के क्षेत्र का ३दिन का दौरा पूर्व करना चाहिये। शिविर का स्थान, खर्च का प्रबध, सामूहिक पदयात्रा की अवधि प्रमुख कार्यकर्ताओ को बतलाना, पूर्व-तैयारी के प्रथम दिन कुछ स्थानिक कार्यकर्ताओ को उपस्थित रखना, वितरण किन गावो में कितना करना है उसकी फेहरिस्त बनाना, पूर्व-तैयारी में आनेवाले कार्यकर्ताओ का परिचय स्थानिक व्यक्तियो को देना, पर्चे और स्थानिक जानकारी (गावो की सख्या, नक्शा आदि) प्राप्त कर रखना आदि कार्य करके रखना चाहिये। जिससे पूर्व-तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी।

पदयात्रा संगठक की भूमिका निष्पक्ष और निर्वैरता की होनी चाहिये। भूदान आंदोलन पर उसकी अनन्य श्रद्धा हो। सब पक्ष-पंथो के बारे में उसके दिल में समान भाव हो। भिन्न भिन्न पक्षीय कार्यकर्ताओं के प्रति आदर और उनके स्वाभिमान की रक्षा करनेकी क्षमता उनमें होनी चाहिये। तभी सबका सहकार मिलेगा। ऐसे सज्जनो की एक बैठक आमंत्रित करके उसमें निम्न बातें तय करनी चाहिये।

१ पदयात्रा का समय, टोलिया निकालने का समय कौनसा रहे यह पहले तय किया जाये। बने जब तक उस क्षेत्र के लिए अनुकूल समय ढूढ़ना चाहिए। लेकिन अब प्रांत भर में ६ महिनों में अखंड सामूहिक पदयात्रा करनी है। अतः अब अनुकूल समयका ख्याल गौण हो जाता है और यात्राओ के सातत्यका ख्याल प्रधान हो जाता है। अत यदि किसी समय कोई भी क्षेत्र अनुकूल न हो, तो भी किसी न किसी तहसील में पदयात्राओं का आयोजन हम करें। क्योंकि अगले समेलन तक भारत के हर गाव में संदेश पहुचाना है।

पदयात्रा की सफलता जिन पर निर्भर है, ऐसे पाच-सात कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वह समय अधिक अनुकूल हो।

२ **मेहमानों को निमन्त्रण**—सामूहिक पदयात्रा की पूर्व-तैयारी, शिविर संचालन, पदयात्रा का उद्घाटन और अन्तिम समारोह के लिये मेह-मानों की जरूरत होती है। बैठक में सर्व सम्मति से उनके नाम पसन्द करने चाहिये।

३ **काम का बँटवारा**—कार्यकर्ताओं की इस बैठक में आपस में काम का बँटवारा करके हरेक के ऊपर जिमेदारी डालनी चाहिये। काम का स्वरूप साधारणतया निम्न प्रकार का होता है—

(क) **कार्यकर्ता प्राप्त करना**—२५ टोलियाँ निकालने के लिये कम-से-कम पचास कार्यकर्ता होने चाहिये। इसके लिये विभिन्न पक्षवालों से मिलकर उनके कार्यालय से पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिये कार्यकर्ताओं को अनुरोध-पत्र लिखवाने चाहिये। संयोजक प्रदेश भूदान समिति की ओर से

तहसील भर के सब कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिये अेक परिपत्र द्वारा आवाहन किया जाये (परिशिष्ट न १)। जनपद, नगरपालिका, हाईस्कूल तथा कालेजके अधिकारियोसे मिलकर उनका सहयोग इस काम मे प्राप्त किया जाये, स्कूलो मे सभाओ का आयोजन कर अध्यापको व छात्रो को पदयात्रा मे भाग लेने के लिये उत्साहित करना चाहिये। इसके लिये प्रभावशाली व्यक्ति को साथ ले जाना ठीक रहता है। पूर्वतैयारी में प्रमुख कार्यकर्ताओ को अवश्य भाग लेना चाहिये।

वैसे ही जिन्होंने दान दिया है उनका सहकार हम मागे। हर दाता कार्यकर्ता बने ऐसी विनोबाजी की इच्छा है। हर आदाता से सपत्तिदान लेकर उसे दाता बनाया जाय। ऐसे सब दाताओ का सहकार लेने का वर्धा तहसील में अक्तूबर ५६ मे प्रयत्न किया गया। २००० दाताओ मे से ७०० दाता सप्ताह में आए और उन्होने अच्छा काम किया। यह प्रयत्न हर क्षेत्र मे होना चाहिये।

(ख) जनतासे सम्पर्क—पदयात्रा के पूर्व बडे-बडे और महत्वपूर्ण गावो मे पहुचना चाहिये, वहाँ के जमीदार, बडे-बड़े किसान, श्रीमान, वकील, डाक्टर तथा बहनों आदि की छोटी-छोटी सभायें लेनी चाहिये। उनको विचार समझाना चाहिये और दानपत्र प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन्होंने जमीन दी है उन्हे साथ लेकर अन्य लोगो के पास पहुचना चाहिये। किस तहसील में कौन विरोधी है इसकी पूरी जाच कर लेनी चाहिये ताकि पदयात्रा के समय उसका ध्यान रखकर योग्य व्यक्ति वहाँ भेजा जा सके। वातावरण बनाने के लिये अनुकूल गावो के दस-बारह केन्द्र चुनकर वहाँ प्रत्यक्ष दानपत्र इकट्ठे करने चाहिये ताकि धीरे-धीरे तहसील में अनुकूल वातावरण तैयार हो जावे।

(ग) प्रचार कार्य—ठीक ढंगमे प्रचार कार्य करने पर अनुकूल वातावरण बनने में सहायता मिलती है। इसके लिये पूर्व तैयारी करनेवाले कार्यकर्ताओं के पास भूदान का पूरा साहित्य तथा पेम्फ्लेटम् होने चाहिये। भूदान समिति के सयोजक जनता के नाम एक निवेदन-पत्र प्रकाशित कर भूदान व सम्पत्ति दान मे

हिस्सा लेने के लिये जनता को प्रोत्साहित करे। बडे-बडे नेता भूदान के बारेमें क्या कहते है इसका भी एक छोटा पेम्फलेट हो। गरीब भी दान क्यो दे, जमीनका बटवारा कैसे किया जाता है, इसके भी परचे छपवाकर देहातो में बाँटने चाहिये (परिशिष्ठ १, २, ३, ४)। तहसील के बाजारो के दिन भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। गाव-गाव म दीवारो पर भूदान के घोष-वाक्य लिखने चाहिये, स्कूल मे जाकर बच्चो को भूदान-गीत पढाने चाहिये और जिस गावमे उत्साही कार्यकर्ता या अध्यापक हो वहाँ भूदान-फेरी निकालनी चाहिये, भूदान-पत्रो के ग्राहक बनाने चाहिये और कुछ अक मुफ्त भी देने चाहिये। कलापथक का देहात में खूब असर होता है। इस प्रकार के नाटक का भी आयोजन करना चाहिये। इस तरह अपनी तहसीलमें टोलियाँ निकलने वाली हैं, भूदान-यज्ञ का काम शुरू होनेवाला है इसकी जानकारी चारो ओर फैल जानी चाहिये।

(घ) **खर्च की व्यवस्था**--पूर्वतैयारी के लिये तहसील भर में घूमना, शिविर लेना, पद यात्रा के लिये बाहर से मेहमान तथा कार्यकर्ताओ को बुलाना, कलापथक, पेम्फलेट, उद्घाटन तथा अन्य समारोहो म तहसील में कम-से-कम एक हजार रुपये का खर्चा आ सकता है। इसके लिये बाहर से जो मेहमान या कार्यकर्ता आते है उनका खर्च (साहित्य विक्री) कमीशन या केन्द्रीय सगठन से प्राप्त किया जाये, मोटरवालो से मुफ्त टिकिटो का इन्तजाम हो सकता है। शिविर भोजन आदि का खर्च स्थानीय जनता से अनाज और नकद रुपयो के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार पदयात्रा का उद्घाटन और आखिरी दिन का समारोह जनता के सहयोग से सम्पन्न किया जाना चाहिये। बाहर के पैसो के बलपर काम न किया जाय।

बाहरी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग--२०,२५ टोलियो के लिये एक तहसीलमे ही सुयोग्य कार्यकर्ता मिलना जरा कठिन ही होता है। इसलिये तहसील के बाहर के कार्यकर्ताओ को बुलाना पडता है। जिन कार्यकर्ताओको बाहरसे बुलाना हो उनको कम-से-कम एक माह पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिये। पूर्व तैयारी के लिये कम-से-कम ५-६ कार्यकर्ता पूरा समय देनेवाले और १५ दिन तक सतत घूमनेवाले होने चाहिये।

इस सप्ताह मे न केवल नई जमीन प्राप्त करनी है, बल्कि पुरानी जमीनका बटवारा भी कर डालना है। अत. पूर्व तैयारी के आरभ के दिन जो जमीन बाटने योग्य है ऐसे गावों की फेहरिश्त बनाकर वितरण की तारीखे (पदयात्रा सप्ताह मे) तय कर डालनी चाहिये। पूर्व तैयारी मे उन-उन गावो मे जाकर ७ दिन पूर्व वितरण की सूचना डुग्गी द्वारा दे देनी चाहिये। दाता को भी सूचना देनी चाहिये। यदि जमीन देखी न हो तो पूर्व तैयारी के दिनो में जमीन देखकर उसे कितने कुटुबो को देना है यह तय कर डालना चाहिये। वितरण का सारा आयोजन पूर्व तैयारी मे कर डालना चाहिये। ५०० एकर तक का वितरण पदयात्रा सप्ताह मे इस पद्धति से हो जावेगा। जहाँ इससे अधिक वितरणयोग्य भूमि हो वहाँ पूर्व तैयारी में कुछ अधिक आयोजन करना होगा। ऐसे क्षेत्रों मे पूर्व तैयारी के लिये कुछ अधिक कार्यकर्ताओ को भेजना पडेगा। लेकिन हर हालत में पुरानी भूमि का वितरण सप्ताह मे हो जाना चाहिये। वितरण के दिन नई जमीन की माग करनी चाहिये और उस गाव के भूमिहीनो के लिये कितनी जमीन लगेगी इसका गणित गाववालो को वितरण की सभामे समझाना चाहिए। जो नई जमीन उस दिन मिले उसकी जाच-पड़ताल कर उसे उसी दिन बाट देनी चाहिये। जमीन फौरन बाटने से बहुत अच्छा वातावरण बनता है।

सावधानी

पूर्वतैयारी करते समय हमे दो बातें विशेष ध्यान मे रखनी चाहिये। अनुकूल लोगो की शक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहिये। और जो लोग विरोधी है उनका कम-से-कम असर हमारे काम पर पडे। जो विरोध करते है या उदासीन रहते है उन्हे समझाने की पूरी कोशिश की जाय। लेकिन उनको अनुकूल बनाने के लालच में ही हम सब शक्ति और समय बरबाद न कर दें इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

पूर्वतैयारी की कसौटियाँ

(१) हर एक टोली में घूमने के लिये २-४ यानी १०० कार्यकर्ताओ का आश्वासन मिला हो।

(२) खर्च का इतजाम हो गया हो।

(३) देहातो में सब जगह भूदान की चर्चा लोग कर रहे हो।

(४) कम-से-कम ५० भूदान और ५० सपत्तिदान-पत्र प्राप्त हुए हो।

शिबिर

पदयात्रा के पूर्व कम-से-कम दो दिन के शिविर में भूदान के राजनैतिक, आध्यात्मिक अेवम् सामाजिक सभी पहलुओ को लेकर विभिन्न वक्ताओ के अध्ययनपूर्ण भाषण हो। वक्ताओ को पहले से उनके विषय (परिशिष्ट ५ देखे) के बारे में सूचना कर देनी चाहिये। शिविर की बौद्धिक चर्चा के कारण नये कार्यकर्ता अच्छे प्रचारक बन जाअेंगे। उन्हे व्यावहारिक सूचना भी दे (परिशिष्ट ६)।

टोलियोंकी छंटनी

शिविरमे आनेवाले कार्यकर्ताओ और टोली नायको की सख्या और योग्यता के अनुसार पदयात्रा के क्षेत्र के देहातो को टोलियो में बाट लेना चाहिये। एक टोली बडे देहात मे एक दिन काम करेगी और छोटे गाव एक दिन में दो, सबेरे एक तो शाम को दूसरा। इस प्रकार सप्ताह मे कम-से-कम दस स्थानो पर एक टोली घूम सकेगी। प्रत्येक टोली में एक वक्ता और एक उन गावो की जानकारी रखनेवाला कार्यकर्ता हो। इसके अलावा एक-एक गानेवाला भी मिल जाये तो ठीक रहेगा। टोली नायक के पास एक आदर्श भाषण की प्रति देनी चाहिये। इससे नये कार्यकर्ता वह भाषण देहातिओ को पढकर सुनायेंगे। (परिशिष्ट ८)। टोली नायक को जिन गावो में वह टोली घूमने वाली है, उसका एक नक्शा देना चाहिये, तथा उसको उन देहातो की पूरी जानकारीसे वाकिफ करा देना चाहिये, ताकि वह यह जान सके कि कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। टोली नायकको सबसे अनुकूल गाव से अपना काम शुरू करना चाहिये। टोली नायक का चुनाव कुशलतापूर्वक किया जाय। जहाँ जिसका अधिक उपयोग हो–वहाँ उसकीयोजना करे। बडे नेताओ के लिअे कुछ अलग कार्यक्रम बनाये ताकि अधिक-से-अधिक दानपत्र मिल सके, कार्यकर्ता तैयार हो सके और अच्छा प्रचार हो।

आशीर्वचन

टोलियाँ जब घूमने के लिये निकले उस वक्त एक अच्छा खासा समारोह आयोजित किया जाय। स्थानीय लोगो की अेक आम सभा बुलाअी जाय वहाँ किसी बडे मेहमानका भाषण हो। फिर सभा मे पदयात्रियो का कुंकुम-तिलक लगाकर स्वागत किया जाय। मेहमान द्वारा हरअेक टोली नायक को अेक थैली भेंट की जाय जिसमें भूदान तथा सर्वोदय साहित्य, भूदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान अेवं साधनदान के दानपत्र हों। भूदान-पत्रो के नमूने के अंक, रसीद बुके तथा प्रचार के लिये छपे हुये पेम्फलेट आदि हो। अन्तमे नेता टोलियों की सफलता के लिये शुभाशीर्वाद प्रदानकर कार्यकर्ताओं को बिदा करे।

पदयात्रा

इसके बाद टोलिया अपने नियोजित क्षेत्र मे प्रवेश करेगी। गाव मे पहुचते ही भूदान-फेरी निकालकर लोगो को सभा के समय तथा स्थान की सूचना दी जाय। आम सभा में भूदान-गीत तथा भाषणो द्वारा लोगो को विचार समझाया जाय तथा दान मागा जाय और भूमि का बटवारा हो। जिन से दान मिला उनको पहुंच देना चाहिये (परिशिष्ट ७ देखें)। साहित्य बिक्री अन्त में हो। फिर गाव मे घर-घर जाकर लोगो को समझाकर भूदान-प्राप्ति का प्रयत्न करना, साहित्य बेचना, भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाना, मजदूरो की हालत देखना तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को अुस गावका भूदान का काम चलाने के लिये तैयार करनेका कार्यक्रम रहेगा। गाव में रहनेवाले कार्यकर्ताओं को टोली के साथ दूसरे गाव में लेने की कोशिश हो और गाववालोको समारोह मे भाग लेने के लिये निमंत्रित किया जाय। हर गाव में क्या काम किया इसका पूरा विवरण टोली नायक को लिखकर रखना चाहिये।

पदयात्रा समाप्ति समारोह

बाद में टोलियो के कार्यकर्ता अन्तिम दिन फिर नियत समय पर इकट्ठे हो। टोली नायक अपना अहवाल एक विवरणपत्र पर भरकर सघटक को दें (परिशिष्ट ९ देखें)। पदयात्राओं के दौरान में गावो में इस काम का दायित्व लेने की दृष्टि से

जिन लोगों को तैयार किया गया हो वे भी समारोह में भाग लें। सब एक साथ बैठकर अपने-अपने अनुभव सुनाये। पदयात्रा में जो कठिनाइयां या सवाल पैदा हुये हों उनपर चर्चा की जाये।

आगे के काम का संकल्प

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में शिथिलता आनेका डर बना रहता है। इसलिये हमारे मन में यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये कि सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम काम को गति देने का कार्यक्रम है। इस दृष्टि से समाप्ति समारोह के दिन जो बैठक चले उसमें आगे के काम की योजना तय करनी चाहिये और उस क्षेत्र के किसी एक भाई पर काम की जिम्मेदारी डालनी चाहिये। बैठक में भूमिप्राप्ति, वितरण, साहित्य बिक्री, कार्यकर्ता तैयार करने तथा भूदान पत्रों के ग्राहक बनाने आदि के सकल्प होने चाहिये। जीवनदान के लिये कार्यकर्ताओं को आवाहन करने से जीवनदानी मिल जाते हैं।

अनुभव से यह पाया गया है कि सामूहिक पदयात्रा के कारण सब गावों का एक नक्शा सामने आ जाता है। कार्यकर्ताओं की परख हो जाती है। और उस आधार पर जो आगे की योजना बनती है वह परिपूर्ण होती है।

आम सभा

इसके बाद इसी दिन एक आमसभा का आयोजन कर सप्ताह भर में जो काम हुआ है उसकी जानकारी लोगों को करानी चाहिये। पदयात्रा के लिये जो खर्च हुआ वह सारा वहां पेश करना चाहिए और आगे के काम की रूपरेखा समझनी चाहिये। जनता तथा कार्यकर्ताओं को उसमें सहयोग देने का आवाहन करनेके बाद भूदान गीतों और जयघोषों के साथ सभाका विसर्जन करना चाहिये।

• •

३ कार्यकर्ताओं से

शिविर में कार्यकर्ता आनेपर उन्हे भूदान के सब पहलुओ से परिचित कराया जाय। इस शिविर का एक अभ्यासक्रम ही रखा जाय। उसके साथ सब को गाने की तालीम दी जाय। हरएक कार्यकर्ता को भूदान के गाने शिविर में सिखाने चाहिये। इसलिये शिविर मे सामूहिक भूदान-गीत गाने का अभ्यास कमसे-कम दो घण्टो का रखा जाय। इससे कार्यकर्ताओ की उमग बढती है और वातावरण भी उत्साह से भर जाता है। वैसे ही नये कार्यकर्ता को भाषण देनेकी तालीम दी जाय। भाषण में कौन-सी बाते आनी चाहिये यह हम उन्हे समझावे। नये लोगो के भाषण भी करवाओ जायें। इसके लिये एक स्टॅंडर्ड भाषण हमारे पास हो (परिशिष्ट ८ देखे)। उसके आधार पर देहात में जाकर नये कार्यकर्ता भाषण देंगे। शिविर में थोडी-सी तालीम मिलने के कारण और देहातमे भाषण देनेका अभ्यास बढने के कारण कार्यकर्ता जल्द ही अच्छा भाषण देने लगता है।

अैसे जो कार्यकर्ता प्रचार के लिये जायेंगे उनको शिविर के सचालक भाई के द्वारा निम्नलिखित बातो से परिचित कराया जाना निहायत जरूरी है। भूदान का तत्वज्ञान तो समझा, लेकिन उसपर अमल करने का तरीका भी कार्यकर्ताको सधना चाहिये। ज्ञान और कला मिलाकर पूर्णता आती है।

निम्न बातो पर ख्याल देना निहायत जरूरी है—

सबके लिये समभाव

भूदान आदोलन किसी एक पक्ष का आदोलन नही है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक सस्थाओ में काम करनेवाले, भिन्न-भिन्न धर्म को माननेवाले, भिन्न-भिन्न सेवा के क्षेत्र में काम करनेवाले इस आदोलन में हिस्सा ले सकते है। यह सब का अपना माना गया आदोलन है। सबका यहा स्वागत है। लेकिन यहा

आने पर अुन्हे अपना-अपना लेबल भूल जाना चाहिये। हम केवल मानवमात्र हैं और मानवता की सेवा करने के लिये आये हैं ऐसा वे समझे।

भूदान का मच सब पक्षभेदवालो को आपस में प्रेम से मिलने का एक पवित्र स्थान है। उसे हम पक्षगत प्रचार से गदा न करे। इससे वे आत्मस्तुति और परनिंदा से बचेगे। सीमित दायरे के बाहर आकर जनता से एकरूप हो सकेंगे। सबके विश्वास-पात्र बनकर सबका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह अहकार छूटने से--भूदानमय होने से--वे अजातशत्रु बनेंगे।

२ कार्यकर्ता के मन में आस्तिक भावना होना निहायत जरूरी है। हरएक मनुष्यमात्र में सद्भावना होती है ऐसा विश्वास दिल में रखकर कार्यकर्ता दान के लिअे आवाहन कार्यकर्ता के दिल में जितनी लगन होगी, उसका चरित्र जितना उज्वल होगा और लोगो के साथ घुलमिल जाने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही वह अपने कार्य में यशस्वी होगा। आत्मविश्वास के साथ वह काम करे। सामने वाले के बारे में विश्वास और अपनी बातकी सचाईमें सामर्थ्यमें--विश्वास यह सफल कार्यकर्ताका सर्वप्रथम लक्षण है।

३. हर गाव में सभा हो

सर्वोदय की भावना लोगो में फैलानी है। जमीन का चदा इकट्ठा करना नही है। आम सभा विचार-प्रचार का सर्वोत्तम साधन है। अनपढ होने के कारण आम लोग किताबें नही पढ सकते है। आम सभा से ज्यादह-से ज्यादह लोगों के पास थोडी अवधि में पूरा विचार जाता है। सभा से गरीबों में जागृति पैदा होती है और भूमि वाले भाईके दिल को छूने का मौका मिलता है। अन्याय का आम सभा में प्रगट करने से पीडित लोगो की हिम्मत बढती है। अन्याय के खिलाफ एक नैतिक शक्ति खडी होती है। इसलिअे कुछ लोग चाहते हैं कि गांव में सभा न हो। लोग जितने दिन तक अधेरे में, अज्ञान में रहेंगे उतना उनका सधता है। वे कहते हैं हम आप को जमीन देंगे, लेकिन हमारे गाव में सभा मत लीजिये। इससे लोगों में जागृति पैदा होगी। ऐसे समय जो कार्यकर्ता सभा नहीं लेते हैं और जमीन मिलने से ही काम हो गया ऐसा मानते

हैं वे रिश्वत लेते हैं। हम को शोषणरहित समाज का आदर्श जनता के सामने स्पष्ट शब्दो में रखना चाहिये। हमारा मुख्य शस्त्र विचार-प्रचार है। विचार समझे बिना मिली हुई जमीन किस काम की ?

गाव में गुटबदियाँ होती है। स्पृश्यास्पृश्य भेद-भावना होती है। इसलिये सभा ऐसी सार्वजनिक जगह लेनी चाहिये जहा सब जाति के लोग, सब गाव वाले स्त्री-पुरुष बिना सकोच आ सके। सभा बुलाने का काम खुद कार्यकर्ता को करना चाहिये। गाव के मुखिया के भरोसे सभा नही छोडनी चाहिये। गाव के स्कूल में जाकर विद्यार्थिओ को गीत सिखाकर, नागरिको की और विद्यार्थीओ की फेरी निकालकर सभा की डुग्गी भूदान कार्यकर्ता खुद दें। आम-सभा शुरू होने के पहले ही गाव के जो अनुकूल और सज्जन आदमी होगे—भले ही वे गरीब हो—उनसे कार्यकर्ता मिले और उनको दान देने के लिये प्रवृत्त करे। आमसभा में यदि गाव का श्रीमान या मुखिया दान नही देता है तो गरीब लोग हिचकिचाते है, डरते है। इसलिये पहले से ही यदि ऐसे दाता तैयार करके रखें तो सभा मे आवाहन होने पर अन्य अनुकूल लोग—मुखिया या श्रीमान् के न देने पर भी—अपना दान जाहिर करते है। और फिर दूसरे लोग भी दान देने की हिम्मत करते हैं।

सभा की शुरुआत गाने से हो। लोगो को विचार समझाने के बाद भूदान के पावन प्रसग सुनाने चाहिये। उस इलाके के, उनके पडोसी लोगो के गाव-वालो के—दान के प्रसग उनके सामने रखने से वे ज्यादा प्रभावित होते है और आवाहन करने पर विश्वासपूर्वक दान देते है। इस तरह कार्य करने से हरएक सभा में दान मिल ही जाता है। यदि सभा सफल रही तो दान मिलता है और गाव म खूब अच्छा काम होता है। सभा के अत में हम गीत गाये और घोष करे। बाद में साहित्य बिक्री करनी चाहिये।

(४) सभा में दान मागने पर गाव का काम पूरा नही होता है। सभा में विचार समझने पर दान देने की कईओ की इच्छा होती है। लेकिन उनको कुटुब के अन्य सदस्यो की सम्मति की जरूरत होती है। कई व्यावहारिक दिक्कतें

उनके सामने आती है। कोई सकोच के कारण अपनी शका आमसभा के सामने नही रखना चाहते है, कोअी गुप्त दान करना चाहते है, कोई सभा में गैरहाजिर ही रहते हैं। अिस प्रकार कई तरह के लोग बच जाते है। उनसे घर-घर जाकर मिलना चाहिये। अनुभव तो यह है कि सभा के दान से दुगुना तिगुना दान बाद मे घर-घर जाने पर प्राप्त होता है। सभा मे व्यापक काम होता है और घर-घर जाने से वह गहरा होता है।

गाव में दान मागने के लिये जाने के समय किसी के बारे मे पूर्व ग्रह बनाकर नही जाना चाहिये। कई कजूस माने जानेवाले दान देते है। गाववालो के द्वेष मत्सर का हम हमारे ऊपर असर न होने दें। हरएक के घर प्रेम से जाना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। काफी कटुप्रसग निराशाजनक अनुभव आयेगे। लोग गालियाँ भी देंगे। खास करके आज की सरकार और राजनैतिक पक्षो पर लोग काफी कटु आलोचनाअें करते है। हम को भी उसमे घसीटने का प्रयत्न करते है। हम यह शाति से सहन करे। और प्रेम से हमारी बात अुनको समझावे। विनोबाजी कहते है 'जो देता है उसे अेक नमस्कार, और नही देता है उसे दो नमस्कार करो'।

गाव मे दान मागने के लिये कार्यकर्ता को अकेले नही जाना चाहिये। साथ मे गाववालो को लेना चाहिये। जो कोई दान देता है उसे साथ लेकर आगे बढना चाहिये। थोडी ही देर में गाव वाले बोलने लगते हैं। ज्यादह-से-ज्यादा लोगो मे दानपत्र मिलाने की भावना उनमें निर्माण होती है। और जब तक गाव के सब लोग दान नही देते तब तक अुन्हे चैन नही मालूम होती है। दाता को कार्यकर्ता बनाने का यही मौका है। जिससे गाव में बडा अच्छा वातावरण पैदा होता है। जब २०–२५ दाता दान मागने के लिये गाव की गली-गली में घूमकर घर-घर जाते हैं तब बडा आनद आता है। ऐसे दाता की टोली को टालने की कोई हिम्मत नही करता है। गाव में आदोलन-सा निर्माण होता है। आदोलन जनता के हाथ में देने का यह एक बढ़िया तरीका है।

जिस गाव में हम काम करते हैं उस गाव के काम की नोट तैयार की जाय। कौन कार्यकर्ता है, सभा में कितने लोग आये, कितने लोगो ने दान दिया, गाव में

कितने लोगो से मिले, किसने क्या जवाब दिया, किसने ज्यादा किताबे खरीदी यह सब हम नोट मे लिखे। इससे आगे के काम की योजना बनानें मे सुविधा होगी और दुबारा अुस गाव में काम करने के पहले पुराने अनुभवो का लाभ मिलेगा। घर-घर जाते वक्त साहित्य खूब वेचे, भूदान पत्र के ग्राहक बनाये।

(५) भूदान-पत्र और साहित्य प्रचार

भूदान आदोलन की सारी दारोमदार विचार परिवर्तन पर है। भूदान-पत्र हमारा सर्वोत्तम साहित्य है। अुसका सर्वप्रथम प्रचार होना चाहिये। किताबे तो पुरानी हो जाती है। अेक बार खरीद ने के बाद बद करके भी रख देने का डर रहता है। लेकिन भूदान-पत्र तो हर हफ्ते जाता है, खटखटाता है। अुसमें नित्य नये विचार आते रहते है। और विविध लेखको द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिसे सब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कार्यकर्ता बार-बार तो नही जा सकता। उसकी शक्ति भी सीमित होती है। लेकिन भूदान-पत्र के द्वारा हर हफ्ता पू विनोबाजी, जयप्रकाशजी आदि बडे नेता ही मानो ग्राहक से मिलने जाते है। देशभर की महत्वपूर्ण घटनाये उसमे होती है जिससे जनता और कार्यकर्ताओ को प्रेरणा मिलती है। पत्र द्वारा कार्यकर्ता को शिक्षा मिलती है। जनता को कार्यक्रम दिया जाता है। आदोलन को ठीक दिशा मे मोडने मे और आदोलन का सचालन करने मे पत्र का बडा भारी उपयोग है।

भूदान पत्र का यह सामर्थ्य हम ख्याल मे रखकर हरएक देहात में कम-से-कम एक ग्राहक आवश्य बनायें। स्कूल, ग्रामपचायत, कार्यकर्ता, श्रीमान या गरीबो से चदा इकट्ठा करके भी भूदान-पत्र को गाव-गाव में शुरू करना आसान है। वर्धा तहसील में ३०० देहात है। वहा भूदान-पत्र के ५२७ ग्राहक बने। यह सब जगह हो सकता है। जिस गाव में भूदान-पत्र नही गया उस गाव में हमारा काम ही नही हुआ ऐसा मानना चाहिये। भूदान-पत्र को शिक्षक या कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से गाव में पढने का भी हम इतजाम करे। इसके साथ साहित्य भी खूब बिकना चाहिये।

(६) भूदान के साथ-साथ सपत्तिदान को भी उतना ही महत्व देना चाहिये। जितने भूदान-पत्र मिले अुतने ही सपत्तिदान पत्र मिलने चाहिये। भूदान और सपत्तिदान, दोनो दानपत्र ठीक से भर लेना चाहिये। सपत्तिदान की रकम हमे लेनी नही है। साधनदान प्राप्त करते समय सपत्तिदान पर अुसका असर न पडे ऐसी सावधानी हम रखें।

(७) कार्यकर्ता निर्माण

हम ही क्रातिकारी है ऐसा कार्यकर्ता न समझे। देहात में काफी अच्छे कार्यकर्ता पडे है जिनकी हम को पहचान नही है। हमारा काम केवल भूदान-मागना, विचार प्रचार करना ही नही है। गाव-गाव में जो निष्क्रिय सज्जन पडे है अुनको जगाना और उन्हे इस काम के लिये प्रेरित करना है। देहात में काफी हृदयवान लोग पडे है। हमारा काम ऐसे हृदयवान, दिलवाले आदमी की खोज करना, अुसे यह विचार समझाना, अुसके आधार पर गाव में काम खडा करना है। अुस गाव में काम शुरू करके आगे के काम का बोझ अुस पर डालना है। ऐसे कार्यकर्ता को हम गाव मे साथ तो रखेंगे ही, लेकिन हमारे साप्ताहिक पदयात्रा म दूसरे गावो में भी उसे साथ ले चलेंगे। अुसका परिचय बढेगा। काम करने की शिक्षा अुसे मिलेगी। अुसके साथ हम चर्चा करे। अुसे साहित्य पढने को दे। और धीरे-धीरे समयदान देने के लिये उसे प्ररित करे। और जहाँ साप्ताहिक समारोह का अन्तिम दिनका गाव होगा वहा उसे लाकर समयदान की घोषणा अुसके मुख से करायें।

इस प्रकार से हर पाच दस गाव से एक जीवनदानी मिल सकता है। अलावा इनके कुछ पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता भी मिलेंगे। हर गाव से कम-से-कम एक जीवनदानी मिले यह हमारा लक्ष एव तदनुरूप प्रयत्न होना चाहिये।

(८) हमारा कार्यक्रम छोटे-मोटे सुधार का या विकास का कार्यक्रम नही है। इसलिये हम हमारी शक्ति इधर-उधर छोटे-छोटे सवालो में और कामों में न खर्च करें। जनता को भी हम सुधार और शाति का भेद समझावे और इस देश का सवाल शाति से ही कैसे हल होगा यह बतायें।

ऐसा अजातशत्रु, आस्तिक, आत्मविश्वास वाला, लगनशील और तत्रज्ञ कार्यकर्ता हर अेक गाव मे यशस्वी होकर ही आता है अैसा आजतक का अनुभव है।

पैरो का सबल, वाणी का रसाल और अत करण का निर्मल पदयात्री घूमता रहे। भगवान उसके आगे और पीछे खडा है, ऐसा विनोबाजी का सब को आशीर्वचन है।

अब सामूहिक पदयात्रा के साथ वितरण जोडा जा सकता है—यह अनुभव से पाया गया है। अत पूर्व तैयारी के प्रथम २–३ दिनो मे जिन गावो मे वितरण करना है अुन गावो में सात दिन पूर्व डुग्गी पीटना अेव दाता को सूचना देना ये कार्य हो जाने चाहिये।

स्थानीय परिस्थिति तथा कार्यकर्ताओ का स्तर देखकर इसमे कई व्यावहारिक और तात्विक सूचनाये जोडी जा सकती है ।

जो सर्व सामान्य बाते हैं वह उपर आ चुकी है। देहात में अुनका काम सफल और आसान कैसे होगा इसका पूरा मार्गदर्शन सघटक ने करना चाहिये जिससे निकलते समय अुनमें उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हो।

● ● ●

४ अिस तंत्र का क्रमशः विकास

मध्यप्रदेश में २२ जिले थे। कार्य की सुविधा से अुन्हे पाच भागो में बाटा गया था। नागपूर विभाग मे चार जिले थे। इन्ही चार जिले के कार्यकर्ताओ ने अकेले-अकेले अपने-अपने तहसील में घूमने के बजाय सामूहिक पदयात्रा निकालने का तय किया। और काजीवरम् सम्मेलनतक सब देहातो में सदेश पहुचाने का निश्चय किया। फलस्वरुप आठ माह लगातार अखड सामूहिक पदयात्रा का सिलसिला जारी रहा और १० तहसीलो मे सामूहिक पदयात्राओ का आयोजन किया गया। इस कल्पना का धीरे-धीरे किस प्रकार विकास होता गया इसका चित्र नीचे दिया जा रहा है।

(१) अर्थ स्वावलंबी रचना

सामूहिक पदयात्रा के प्रवास-खर्च, भोजनखर्च, प्रचार कार्य और समारोह आदि के लिये करीब १ हजार रुपये खर्च आता है। मध्यप्रदेश भूदान समिति ने केवल ३०० रुपये ही खर्च देने की जिम्मेवारी ली। बचा हुआ खर्च जनता से ही निकालने का सोचा गया। इसलिये हम ने तय किया जिस गाव के लोग भोजन खर्च अेव समारोह का खर्च करने के लिये तैयार होंगे अुसी गाव में शिविर और समारोह लेंगे। और भोजन के लिये आज तक कही भी हम को अेक पैसा खर्च नही करना पडा। लेकिन फिर भी शुरू-शुरू मे मध्यप्रदेश भूदान समिति को पैसा देना पडा। अिन्ही दिनो निधिमुक्ति की बात जोरो से चली, और समिति के पास पैसो की भी कमी थी, इसलिये सब पैसा जनतासे ही लेना चाहिए ऐसा निश्चय हुआ। आवश्यकता मेंसे अकल सूझी। और आखिरी दिनो में भूदान समिति पैसा दे तो भी हम अब नही लेगें ऐसा तय हुआ। आखरी दो सामूहिक पदयात्राओंकी हालत यह है कि जनतासे ही पूरा पैसा हमको मिला।

(२) राजनैतिक संस्थाओ से संबंध

शुरू-शुरू में राजनैतिक पक्षोके बिना हमारे लिये काम करना कठिन मालूम होता था। जिस तहसील में यह सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम होता था वहा के राजनैतिक कार्यकर्ता के ही हस्ताक्षर से जनता को भूदान में हिस्सा लेने की अपील निकालते थे। पॅम्फलेटस् छपते थे। अुनकी चिट्ठियाँ लेकर देहातो में जाते थे। लेकिन जिनके दस्तखत हमारे पत्रको पर रहते थे उनमें से बहुतांश भूदान के लिये बाहर नही निकलते थे। कई खुद दान तक नही देते थे। जब सप्ताह में मिले दान का नतीजा जाहिर किया जाता था तब यह हमारे ही बदौलत हुआ, इसका बहुत सारा श्रेय हमको ही है, इसका लिखित सर्टीफिकेट हमको दो ऐसा कुछ कहते थे। पेपरो में जाहिर करते थे और अपनी पार्टी ऑफिसको रिपोर्ट भेजते थे कि यह सब काम हमने ही किया। इससे अन्य पार्टीवालो में बुरी प्रतिक्रिया होती थी।

इससे भूदान कार्यकर्ताओं को बहुत अटपटासा लगता था। जनता को भी बुरा लगता था। राजनैतिक पक्षके ही कुछ सज्जन कार्यकर्ता कहने लगे कि

काम तो आप करते है, नाम हमारा होता है। हमारा तो जनता पर नैतिक प्रभाव नही है। बल्कि आप भूदान कार्यकर्ताओ के प्रति जनता मे आदर बढ रहा है। ऐसी हालत में भूदान समिति और कार्यकर्ताओ को अपने नाम पर ही सब चलाना चाहिये। बात सच थी। लेकिन उनको टालकर काम करेंगे तो रास्ते मे रुकावटे आयेगी यह डर मन मे था। इसलिये हिम्मत नही हो रही थी। दो-तीन सप्ताह यही बात चली। धीरे-धीरे भूदान कार्यकर्ताओ की सख्या और क्षमता बढी। जनता उन्हे जानने लगी। अब जो कोई भूदान मे हिस्सा लेता है, पदयात्रा के लिये निकलता है, और भूदान के बारे में जिसके दिल में हमदर्दी है ऐसे ही नेता को शिविर या सम्मेलन मे भाषण के लिये बुलाते है। हस्ताक्षर भी भूदान कार्यकर्ताओके ही रहते हैं। हर एकका सहकार हम व्यक्तिगत रूप से मागते है। नतीजा यह निकला कि भूदान कार्य की इज्जत बढी है और कार्यकर्ताओ की शक्ति भी बढी है।

(३) भूदान और संपत्तिदान पर समान जोर

प्रथम जो सामूहिक पदयात्रा हुई उस वक्त सपत्तिदान का विचार कार्यकर्ताओ तक ही सीमित था। बीच मे पू जाजूजी का देहात हो गया, तब कार्यकर्ताओ ने सपत्तिदान की ओर अधिक ख्याल देना शरू किया। कुछ दानपत्र मिलने लगे। भूदान, सपत्तिदान आदोलन यह आर्थिक समता के सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे बिना अधूरा है, इसलिये दोनो को समान भूमिका पर लाने का हमारे कार्यकर्ताओ ने निश्चय किया। भूदान आदोलन को निधिमुक्त बनाने का विचार देश मे शुरू हुआ। इसलिये निश्चय के साथ कार्यकर्ता सपत्तिदान के काम मे जुट गये। नतीजा यह हुआ कि जनता ने भी इस विचार का स्वागत किया और अब भूदान-सपत्तिदान के दानपत्र लगभग बराबरी से मिलने लगे। इस सपत्तिदान से कुछ जिले अब निधिमुक्त होकर अपने पैरो पर खडे रहने की स्थिति में आ गये है।

(४) जन-आंदोलन का निर्माण—

चार जिलो के कार्यकर्ताओ को बुलाकर एक तहसील मे टोलियाँ निकालकर अेक-अेक हफ्ते में प्रचार करना तो ठीक था। बाद में वहा के आदोलन को कौन

चलाये ? इसका जवाब हमारे पास नही था। सोचते थे, भूदान-समिति कोई वैतनिक कार्यकर्ता नियुक्त करके आगे के काम को चलायेगी। लेकिन इससे पूरा काम होनेवाला नही है। जन-आदोलन तो हरगिज नही होगा यह ख्याल मे आया। यदि अुस तहसील के कार्यकर्ता सप्ताह मे आ सकते है, तो क्या वे ५७ तक समय नही देगे ? क्या अुनमें से कोई जीवनदान नही देगा ? क्यो नही आवाहन किया जाय ? क्या हम विनोबाजी है या जयप्रकाशजी जैसे आदरणीय नेता है कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर लोग इतना त्याग करने के लिये सामने आयेंगे ? यह सकोच भी बारबार होता था। बाद में सकोच मिट गया। सभा में आवाहन करना शुरू हुआ। जवाब मिला। समय-दान की घोषणायें होने लगी। इससे हिम्मत बढी। अब हर सप्ताह के आखिरी समारोह मे ऐसा आवाहन विश्वास के साथ किया जाता है और हर अेक तहसील में कार्यकर्ता समय दे रहे है। गोंदिया के शिविर में पहले ही दिन १० कार्यकर्ता समयदान देने लगे। अुनको समझाना पडा कि सप्ताह भर काम करके निश्चय पक्का करो और फिर समयदान दो। समाप्ति के दिन वहा के ३० कार्यकर्ताओ ने समयदान दिया। किसी को तनखाह या ऐसा कोअी प्रलोभन नही दिया गया। कई कार्यकर्ता कई माह से हमारे साथ लगातार घूम रहे है और कुछ भी नही लेते है। घर जाते है तो छुट्टी लेकर जाते है और समय पर आने का ध्यान रखते है। एक ने छुट्टी में भी भूदानपत्र प्राप्त किये। कोई अनुशासन की कारवाई अुनपर होने का डर नही है। लेकिन क्राति की पुकार समझकर शक्तिभर काम कर रहे है।

अब जो कार्यकर्ता देहात मे भूदान-पद-यात्रा निकालने के लिये जाते है वे भूदान-सपत्तिदानपत्र तो लाने की चिता रखते ही है, लेकिन साथ-साथ समयदानी कार्यकर्ता तैयार करने का भी प्रयत्न करते है।

इन समयदानी कार्यकर्ताओंमें सब तरह के लोग है। रचनात्मक, कार्यकर्ता, विद्यार्थी, राजनैतिक कार्यकर्ता, जवान, बूढे, और सरकारी नौकरी ठुकराने वाले लोग है।

नागपुर विभाग के इन कार्यकर्ताओ ने १० तहसीलो मे सामूहिक पदयात्राअे निकालकर आठ माह में ३००० देहातो मे सदेश पहुचाया। फलस्वरूप ४००० से ऊपर दाताओने १०००० अेकड से अधिक भूदान दिया। २००० से अधिक दाताओ ने सपत्तिदान दिया। भूदानपत्र के ५०० मे ऊपर ग्राहक वने। ५००० रुपयो का साहित्य बेचा। १०० से अधिक कार्यकर्ताओ ने समयदान दिया।

पूर्वतैयारी की जो आदर्श कल्पना थी अुसके मुताबिक हम सब जगह काम नही कर सके। क्योकि काजीवरम् सम्मेलन तक हर गाव म हमें जाना ही है ऐसा कार्यकर्ताओ का निश्चय था। इसलिये पूर्वतैयारी के लिये हर तहसील में पूरा समय नही मिला। और स्थानीय लोगो के लिये समय अनुकूल न रहने पर भी लगातार पदयात्रा चलाने के लिये कई स्थानो पर पदयात्राअ ली।

कुछ तहसीलो म १ माह की पूर्वतैयारी करके काम हुआ। ऐसा काम प्रात के हर विभाग में हुआ। नतीजा बहुत अच्छा आया। उदाहरण के लिये हम तीन विभागो की तीन निम्न तहसीलो को ले—

तहसील का नाम	दातासख्या	भूमिप्राप्ति (अेकड)
(१) पुसद	१६००	८५००
(२) जबलपुर	१३००	४०००
(३) आर्वी	११००	३२००

जहा जल्दी-जल्दी ८–१० दिन की पूर्वतैयारी करके काम किया गया और भूमिप्राप्ति के बजाय गाव-गाव सदेश पहुचाने का उद्देश्य प्रमुख माना गया वहा का नतीजा भी आशाप्रद रहा। नागपुर विभागके ९ तहसीलो मे ऐसा काम हुआ और यही भी ५०० अेकड से कम जमीन नहीं मिली। अिसलिये अधिक पूर्वतैयारी करे तो अधिक फल मिलता है, लेकिन साधारण पूर्वतैयारी से भी सामूहिक पदयात्रा के तत्र से आशादायक ही नतीजा आता है। प्राप्ति के साथ-साथ वितरण और सामूहिक पदयात्राओ म भूमिपुत्र का गहवार लेने का सफल प्रयास कुछ जगह किया गया। इसको आमरूप देने का प्रयत्न चल रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रथम प्रातभर के सब कार्यकर्ताओ की शक्ति लगाकर केवल ९ टोलियाँ निकली थी। अब मध्यप्रदेश मे कम-से-कम अेक ही समयपर २०० टोलियाँ निकल सकती हैं।

● ● ●

५ सामूहिक पदयात्राओं का उपयोग.

प्रात के हरभाग में सदेश पहुचाने की दृष्टि से प्रात के विभाग (डिव्हिजन) किये जाअे। हर डिव्हिजन मे १५ से १८ तक पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता हो; अिससे अधिक सख्या हो तो और अच्छा। सामान्यत ३ से ५ जिलो का डिव्हिजन बनेगा। लेकिन बिहार सरीखे प्रात मे १-१ जिले का भी डिव्हिजन हो सकता है क्योकि वहा कार्यकर्ताओ की सख्या अधिक है। अुत्कल ने ५ डिव्हिजन किये हैं अेव अुत्तर प्रदेश ने–१०, गुजरात ने–२, मध्यप्रदेश ने गतवर्ष ६ डिव्हिजन किये थे। अैसे डिव्हिजन बनाकर हर डिव्हिजन के प्रत्येक गाव मे सदेश कैसे जाय, कौन समय कौन सा भाग लिया जाय अिसका अेक टाओम टेबल बनाया जाय। वैसे ही अिस डिव्हिजन मे पदयात्राओ के संगठन की जिम्मेदारी किसी योग्य कार्यकर्ता पर सौंपी जाय।

भिन्न भिन्न प्रातो की स्थिति देखते हुअे अब अैसा लगता है कि सामूहिक पदयात्रा ७ दिन के बजाय ९ दिन की रखी जाय। ९ दिन की साप्ताहिक पदयात्रा २ दिन का शिबिर, आखरी दिन का अतिम समारोह, अेक दिन नअी तहसील मे आने का समय मिलकर अेक सप्ताह को १३ दिन लगेंगे। अतः अैसे दो सप्ताह अेक माह में हो सकेंगे। ९ दिन में १६ गाव सामान्यतया लिये जा सकेंगे। अतः २५ टोलियाँ अिस सप्ताह में ४०० गावो में सदेश पहुचा सकेगी। अिस तरह माह में ८०० गाव अेक डिव्हिजन में हो सकते हैं। यदि टोलियाँ अधिक निकली तो अिन गावो की संख्या बढ़ेगी। पूर्वतैयारी के लिये ३ कार्यकर्ता १३ दिन पूर्व ही अुस तहसील में भेज दिये जावे। यानी यदि १८ कार्यकर्ता हो तो ६ कार्यकर्ता पूर्व-तैयारी के लिये अलग रखे जाअें। १८ से अधिक कार्यकर्ता

हो तो पूर्व–तैयारी के लिये ८–१० कार्यकर्ता भी रखे जा सकते हैं। अिनमे से आधे कार्यकर्ता आगामी तहसील में शिबिर के १३ दिन पूर्व पूर्व–तैयारी के लिये भेजे जावे। ये कार्यकर्ता फिर सप्ताह में भी काम करेंगे। अत हर समय १८ कार्यकर्ताओं में से १५ कार्यकर्ता सप्ताह में रहेंगे अेव ३ कार्यकर्ता पूर्व–तैयारी मे, अिस प्रकार माह में दो पदयात्राअें चलेगी। अत. यह स्पष्ट है कि साप्ताहिक पदयात्रा के लिये १३ दिन पूर्वतैयारी अेव १३ दिन की पदयात्रा मे अैसे २६ दिन का समय नही लगेगा, बल्कि १३ दिन का ही समय लगेगा। यह समझने मे कुछ कठिनाई हो तो सबलगड से लौटे हुअे भाई अिस कठिनाअी को दूर कर सकेंगे।

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम लगातार एक समान ही चलता रहना जरूरी नही है। लेकिन प्रारम्भ में जनता मे इस विचार का व्यापक प्रचार करने के लिये, काम को बढावा देने के लिये और नये कार्यकर्ता प्राप्त करने के लिये इसकी निहायत जरूरत है। प्रथम कदम के बतौर यह एक अच्छा तरीका है।

'सघ शरण गच्छामि' यह मत्र हमें अमल मे लाना है। एक बार तहसील में इसका प्रयोग हो जाने के बाद चार-पाच जिलो के कार्यकर्ता को बार-बार वहा आने की जरूरत नही है। नये कार्यकर्ता तैयार हो जाने के बाद एकेक जिले के कार्यकर्ता भी इस तरह की पदयात्राअे निकाल सकते हैं। एक बार कार्यकर्ता का आत्मविश्वास और शक्ति बढने पर और जनता का सहयोग मिलने पर तो फिर गाव-गाव में स्वतत्र रूप मे काम चलेगा। लेकिन काम को गति देने के लिये पहले धक्के के बतौर सामूहिक पदयात्रा एक अच्छा तरीका है।

• • •

६ 'एक दिन में क्रांति' की पूर्व तैयारी

हम ने १९५२ मे सेवापुरी मे तय किया था कि ५ लाख गावो मे २५ लाख एकड जमीन प्राप्त हो। २५ लाख एकड जमीन तो मिली, उससे भी अधिक मिली, लेकिन ५ लाख गावो मे हम भूमिदान न ला सके। क्योंकि हम ५ लाख गावो में पहुच ही नही पाये। यानी भारत मे सब गावो में हम एक बार भी

अभी नही पहुचे है। और हमे १९५७ में क्राति का पहिला कदम पूर्ण करना है, ऐसा हम मानते हैं। यह कैसे होगा? अत एक बार गाव-गाव जाकर सदेश पहुचाना निहायत जरूरी है।

सदेश पहुचाने का काम कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अकेले भी कर सकते हैं। वह भी अभी तक नही हुआ है। मुश्किल से ५ लाख गावो में से २ लाख गावो में हम पहुच पाये है। वह क्यो नही हुआ है? क्योकि कार्यकर्ता निराश हो गअे हैं। केवल घूमने से क्या लाभ यह भी उन्हे लगता है। इसलिअे घूमने के साथ-साथ यदि जमीन मिले, जनता पर एव अन्य कार्यकर्ताओ पर भूदान कार्य का प्रभाव पड सके ऐसा तरीका खोजना चाहिये। सौभाग्य से ऐसा तरीका सामूहिक पदयात्रा के रूप में सामने आया है। इससे केवल गाव-गाव सदेश ही नही पहुचाया जाता है, बल्कि जमीन भी मिलती है, और ऊपर बताअे हुअे अन्य नतीजे भी सामने आते है। यदि हम इस प्रभावकारी तरीके का प्रयोग भारतभर करते हैं तो क्या होगा?

कल्पना ही करनी हो तो कल्पना पूरी करनी चाहिये। मध्यप्रदेश में मामूली पूर्वतैयारी से हर तहसीलमें ६०० एकड ओसत जमीन मिली है। इस हिसाब से भारतभर मे ६ लाख एकर सामान्य कार्यकर्ताओ द्वारा भूमि प्राप्ति हो सकती है। विनोबाजी, जयप्रकाशजी, बाबा राघवदासजी, रविशकर महाराज आदि के द्वारा मिलनेवाली जमीन तो अलग ही है। सपत्तिदान-पत्रो का आज का कुछ हजारो का आकडा लाखो में जायगा। आज के कार्यकर्ताओ में कम-से-कम तिगुनी वृद्धि होगी। सब कार्यकर्ताओ को तात्विक एव व्यावहारिक भूदान यज्ञ की शिक्षा का बढिया मौका मिलेगा।

और गाव-गाव तो सदेश फैलेगा ही। आज डेढ़ हजार कार्यकर्ता काम कर रहे है। इनमें से ३०० कार्यकर्ताओ को ऑफिस काम के लिये एव सगठन के लिअे रखा जाय तो भी १२०० कार्यकर्ता मिलते है। आरभ मे ही इतनी सख्या है। यह सख्या प्रति सप्ताह सामूहिक पदयात्रा के तत्र के कारण बढ़ेगी। यानी १२०० टोलिया तो फौरन निकाली जा सकती है।

यदि माह में २ पदयात्राऐं निकाली जाय और बचा हुआ समय पूर्वतैयारी एव अन्य कामो मे दिया जाय तो भी सालभर मे २४ पदयात्राऐ निकल सकती है। एक सप्ताह मे १२ छोटे-मोटे गावो मे हम जा सकते है। इस प्रकार १२००× २४×१२ यानी करीब-करीब ३॥ लाख गावो मे हम जा सकते है। उत्तरोत्तर इन टालियो की सख्या बढती जावेगी। अत हम १ सालके भीतर पाच लाख गावो में पहुच सकते है।

ऐसा करने से हर गाव मे भूदानयज्ञ का सदेश पहुचेगा, साहित्य जावेगा, भूदानपत्र के ग्राहक बनेंगे, बहुतांश गावो में से भूदान मिलेगा, सपत्तिदान मिलेगा, वितरण होगा, जीवनदानी मिलेगें। हर तहसील मे पूरा समय देने वाले कार्यकर्ताओ का निर्माण होगा, गाव-गाव जीवनदानी मिलेगे, कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगे, और अनेक कार्यकर्ताओ को पूरा, एव प्रभावकारी काम मिलेगा। साथ में काम करने से कार्यकर्ताओ का भाईचारा बढेगा, गलतफहमिया दूर होगी, मनमुटाव हटेगा। इससे गणसेवकत्व निर्माण होगा। केवल इतना ही लाभ होता तो भी वह कम नही था। अलावा इसके गाव-गाव के लोगो को हम १९५७ की क्राति का, जमीन बाटने की प्रक्रिया का ज्ञान दे सकेगे। गाव-गाव सेवक मिल सकेंगे। इसीमें से 'एक दिन मे क्राति' का विनोबा का सपना मूर्तरूप में आ सकता है।

आज हम सब जानते है कि अपनी नैतिकता सहृदयता सद्भावना कम होते चली जा रही है। वह हमें ऊची ले जाना है। सपत्ति का वितरण करके समानता लाना है। सहकार्य की वृत्ती बढानी है। सहकार्य के आधार पर समाज खडा करना है। खानेवाले को काम और काम करनेवालोको खाना देना है। अेसा समाज ही कायम करना है। अैसा सर्वोदय-समाज निर्माण करने के हेतू भूदान यज्ञ आदोलन ५ साल से अपने देश म चल रहा है। अभीतक देश में ४४ लाख अेकड जमीन मिली। ११०० ग्रामदान मिले याने गाँव-वालो ने कुल गाव की जमीन दान में दे दी। अभी तक प्राप्त लाखो अेकड जमीन का वितरण देशभर में हो रहा है।

• • •

परिशिष्ट नं. १

तहसील भूदान सप्ताह

भूमिदान आंदोलन के साथ ही संपत्तिदान आंदोलन को भी गति प्राप्त हुई है और अिस प्रकार बुद्धिदान, जीवनदान, श्रमदान, समयदान, साधनदान एव ग्रामदान इत्यादि आन्दोलन भी शुरु हुए है। अहिसा और शान्ति द्वारा जिस तरह से हमने स्वराज्य प्राप्त किया उसी प्रकार हम आर्थिक व सामाजिक समता इसी मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते है, इस प्रकार का आत्मविश्वास इन आदोलनो के शुरु होने के पश्चात लोगो म बढ रहा है। इन आन्दोलनो को सभी राजकीय पक्षो का समर्थन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबरभाई ने समस्त कांग्रेस कमेटियोको भूदान-कार्य करनेके लिये आदेश भी दिया। है। श्री जयप्रकाशजी ने तो अिस कार्य के लिये अपना जीवनदान दिया है अब इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी जनता की है।

हर तरहके अपने मतभेदो को अलग रखकर हम इस आन्दोलन को सन् ५७ तक यशस्वी बनाने के लिये जिम्मेवारी के साथ इस काम मे लग जाय।

गोंदिया तहसील म अभी तक १००० एकड जमीन प्राप्त हुआी है, जिसमें से ६०० एकड जमीन का वितरण हो चुका है। भूमिहीन भूमि मजदूरो की सख्या को देखते हुअे यह जमीन बहुत कम है। अन्य तहसीलो मे सामूहिक पदयात्रा म काफी जमीन प्राप्त हुआी है। अिस प्रकार की पदयात्रा हमारी गोंदिया तहसील में ता २६ फरवरी मे लेकर ४ मार्च तक भूदान समितिने आयोजित की है।

पदयात्रा के प्रारम्भ के पहले ता २४ तथा २५ फरवरी को कार्यकर्ताओ का शिविर गोंदियामें होगा। इसके पश्चात ३५ से ४० टोलिया सपूर्ण तहसीलके प्रत्येक गाव मे जाकर इस आन्दोलन का प्रचार करेंगी एव अधिक-से-अधिक भूदान, संपत्तिदान, साधनदान इत्यादि प्राप्त करेंगी। इस शिविर का समारोह ता ४ मार्च का तिरोडा में होगा। शिविर के उद्घाटन एव समारोह के लिये बाहर के नेताओ का बुलाने का आयोजन किया जा रहा है।

गोंदिया तहसील के सभी भाईयो से प्रार्थना है कि हमारे देश की आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करने के लिये सन्त विनोबाजी ने जो यह आन्दोलन शुरु किया है इसमें अपना हिस्सा देकर इसे यशस्वी बनाने का भरसक प्रयत्न करे।

सन्त विनोबाजी का कहना है कि सम्पन्न काश्तकारो को अपने निर्वाह के लिये जरूरी जमीन रखकर बाकी की दान कर देना चाहिये। मध्यम श्रेणी के काश्तकारोने अपना छटवा हिस्सा देना चाहिये। एव गरीब काश्तकारो को भी नैवेद्य समझकर कुछ हिस्सा देना चाहिये। जिन भाईयो के पास जमीन नही है वे सम्पत्तिदान दें।

• • •

परिशिष्ट नं. २

भूमिदान तथा संपत्तिदान के सम्बन्ध में नेताओं के अभिप्राय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी —

मीराबेनने बापूजी से फिर पूछा कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद जमीन की व्यवस्था कैसी रहेगी? बापूजी ने कहा "जमीन सरकार की होगी। मैं यही मानकर चलता हूँ कि राज्यसत्ता उन्ही लोगो के हाथ में होगी जो इस आदर्श पर विश्वास रखते हो। बहुत सारे जमीदार अपनी खुशी से जमीन छोड देंगे। जो नही देंगे उनके लिये कानून बनेगा।"

भूदान यज्ञ के प्रवर्तक सन्त विनोबा —

मेरे भारतवासी भाइयो, आप से मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रजासूय यज्ञ मे अपना हिस्सा अर्पण करे और इस काम को सफल करके आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठापना करे। हमारा विचार समझें बगैर यदि कोई हमें जमीन देगा तो हमें दुःख होगा। किसी भी ढग से जमीन इकट्ठा करना

भूमिहीन मजदूरो को देते है। अगर उस गाव का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पडोस के गाववालेको सुविधा हो तो उनको दी जाती है।

२ जमीन खेती के लिये ऐसे भूमिहीनो को देते है जिनके पास दूसरा कोई धदा व्यापार नही है। जो जमीन की काश्त स्वय करता है या जिसकी जमीनपर मेहनत करने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती है।

३ प्राप्त जमीन का कम-से-कम ⅓ हिस्सा हरिजन या आदिवासी को बाटते है।

जमीन का बँटवारा कैसे ?

१ जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगो को डुगी द्वारा बितरण की सूचना दी जाती है।

२ भूमि वितरण गाव वालो की सार्वजनिक सभा में होता है।

३ भूमिहीनो के अर्ज मुफ्त लिये जाते है। सभा म भी अर्ज लिये जाते है।

४ भूमि वितरण सर्व समती से करने की कोशीश की जाती है। मतभेद की सुरत में चिटठी डालकर निर्णय होता है।

कितनी जमीन

अेक परिवार को अधिक-से-अधिक—

(१) तरी जमीन—३ अेकड तक

(२) खुश्की जमीन—

(अ) चावल क्षेत्र—७ अेकड तक

(आ) कपास, ज्वार गेहूँ क्षेत्र (मैदानी) १० अेकड तक

" , , (पठार १५ अेकड)

(ई) बिल्कूल हलकी जमीन (पथरीली भाराखेरी बरली ढालू) २० अेकड तक

जमीन बाँटने का यह परिमाण मध्यप्रदेश का है। अन्य प्रदेशो म जमीन को देखकर कम जादा हो सकता है।

भूदान में मिली जमीन

(१) भूमिदान की जमीन जिसे मिली है उस भूमिधारी का हक उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों को मिलेगा।

(२) वह जमीन बेच नही सकेगा या अपना हक हस्तांतर नही कर सकेगा।

(३) वह दूसरे किसी को ठेके से या अन्य तरह से जमीन नही दे सकेगा।

(४) वह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पड़ती नही रखेगा।

(५) वह लगान समयपर देगा।

● ● ●

परिशिष्ट नं. ४

गरीबों भूमिक्रान्ति के सैनिक बनो

बड़े जमीनदार और राजा महाराजाओ से भूदान में जमीन मागना ठीक है। लेकिन गरीब किसानो से दान लेकर उन्हे अधिक गरीब क्यो बनाते हो ?

विनोबाजी का जवाब

बड़े लोगो से तो मैं जमीन लेऊंगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मागते हैं, असका मतलब यह नही है कि हम सबसे समान जमीन मागते है। जो मध्यम श्रेणी के किसान, है, अुनसे हम छठा हिस्सा मागते है। जो बड़े-बड़े काश्तकार और जमीदार है अुनसे तो हम कहते है कि आप अपने लिये थोडा-सा रखकर बाकी सारा दान दे दो। और जो बिलकुल गरीब हे उनसे तो हम प्रसाद के रूपमे वे जो भी दें ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण है।

अधिक गरीब के लिये त्याग

(१) आज समाज मे सब से दुखी बेजमीन लोग हैं। अुनकी तुलना में गरीब किसान भी सुखी है। असलिअे आज समाज मे जो सब से ज्यादह दुखी है अुसके लिये हर अेक को थोडा-थोडा त्याग करना चाहिये। मेरे लिये पर्याप्त

भूमिहीन मजदूरों को देते है। अगर उस गांव का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पड़ोस के गाववालेको सुविधा हो तो उनको दी जाती है।

२. जमीन खेती के लिये ऐसे भूमिहीनो को देते है जिनके पास दूसरा कोई धंदा व्यापार नही है। जो जमीन की काश्त स्वयं करता है या जिसकी जमीनपर मेहनत करने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती है।

३. प्राप्त जमीन का कम-से-कम ⅓ हिस्सा हरिजन या आदिवासी को बाटते है।

जमीन का बँटवारा कैसे ?

१. जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगो को डुग्गी द्वारा वितरण की सूचना दी जाती है।

२ भूमि-वितरण गाव वालो की सार्वजनिक सभा मे होता है।

३. भूमिहीनों के अर्ज मुफ्त लिये जाते है। सभा में भी अर्ज लिये जाते है।

४. भूमि वितरण सर्व समती से करने की कोशीश की जाती है। मतभेद की सुरत में चिट्ठी डालकर निर्णय होता हैं।

कितनी जमीन

अेक परिवार को अधिक-से-अधिक—

(१) तरी जमीन—३ अेकड तक.

(२) खश्की जमीन—

(अ) चावल क्षेत्र—७ अेकड तक

(आ) कपास, ज्वार, गेहूँ क्षेत्र (मैदानी) १० अेकड़ तक

" " " (पठार १५ अेकड़)

(ई) बिल्कूल हलकी जमीन (पथरीली भाराखेरी बरली ढालू) २० अेकड़ तक

जमीन बाँटने का यह परिमाण मध्यप्रदेश का है। अन्य प्रदेशों में, जमीन को देखकर कम जादा हो सकता हैं।

भूदान में मिली जमीन

(१) भूमिदान की जमीन जिसे मिली है उस भूमिधारी का हक उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों को मिलेगा।

(२) वह जमीन बेच नहीं सकेगा या अपना हक हस्तांतर नहीं कर सकेगा।

(३) वह दूसरे किसी को ठेके से या अन्य तरह से जमीन नहीं दे सकेगा।

(४) वह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पड़ती नहीं रखेगा।

(५) वह लगान समयपर देगा।

● ● ●

परिशिष्ट नं. ४

गरीबों भूमिक्रान्ति के सैनिक बनो

बड़े जमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान में जमीन मांगना ठीक है। लेकिन गरीब किसानों से दान लेकर उन्हें अधिक गरीब क्यों बनाते हो?

विनोबाजी का जवाब

बड़े लोगों से तो मैं जमीन लेऊंगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मांगते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन मांगते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान, हैं, उनसे हम छठा हिस्सा मांगते हैं। जो बड़े-बड़े काश्तकार और जमींदार हैं उनसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिये थोड़ा-सा रखकर बाकी सारा दान दे दो। और जो बिलकुल गरीब हैं उनसे तो हम प्रसाद के रुपमें वे जो भी दें ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण हैं।

अधिक गरीब के लिये त्याग

(१) आज समाज में सब से दुखी बेजमीन लोग हैं। उनकी तुलना में गरीब किसान भी सुखी है। इसलिये आज समाज में जो सब से ज्यादह दुखी है उसके लिये हर एक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना चाहिये। मेरे लिये पर्याप्त

रोटी मेरे पास नही है, तो अगर कोओी भूखा मेरे पास आजाय, तो मेरे पास जो भी कुछ है, अुसमें से अेक हिस्सा अुस को देना मेरा कर्तव्य है। यह अेक धर्म है। हम यही भावना समाज मे लाना चाहते है।

आसक्ति का निराकरण

(२) आखिर हम सिखाना चाहते है कि जमीन पर किसी की मालिकी ही नही रहनी चाहिअे। आज जैसे श्रीमान् अपने को अपनी जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी अुसकी थोडी सी जमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनो खुद को जमीन का मालिक मानते है। हम दोनो को अिस मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते है। जैसे प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य है, वैसे ही जो जमीन मागता है, असे जमीन देना भी अपना कर्तव्य है क्योंकि जमीन परमेश्वर की है।

नैतिक शक्ति निर्माण

(३) हम श्रीमानो से जमीन माग तो अुस के लिये हमारा अुन पर असर भी होना चाहिये। लेकिन असर कैसे होगा ? हमारे पास क्या शक्ति है ? क्या हमारे पास पिस्तौल है ? पर हमारे पास न तो पिस्तौल है और न पिस्तौल की ताकत पर हमारा विश्वास ही है। अिसलिये हम नैतिक शक्ति निर्माण करना चाहते है। जब हजारो गरीब दान देंगे तब नैतिक शक्ति पैदा होगी और अुसका असर श्रीमानो पर होगा। अैसा हो भी रहा है। पहले श्रीमान लोग हमें टालते थे। परतु अब हजारीबाग जिले में (बिहार) अुन लोगो ने मुझे कितनी जमीन दी ? अुन्होंने अब जमीन क्यो दी ? अिसीलिये कि जब दो साल तक गरीब लोगो ने हम पर दानकी वर्षा की।

सत्याग्रही सेना

(४) मैंने कअी बार कहा है कि हम तो हमारी सेना तैयार कर रहे हैं। उच्च-नीचवाला भेद हमें खतम करना है और ऐसी सेना बनानी है, जिसके आधार पर हम लडाई लड सकते है। जिन्होंने दान दिया होगा, या त्याग किया होगा, और जिन्होंने हमारे कामसे साथ सहानुभूति बताई होगी, वे ही हमारे

सैनिक बनेगे। आगे कभी अगर श्रीमानो के दिल ने खुले, तो हम अेक कदम और भी आगे बढेगे। और मजा ऐसी कि श्रीमान भी इसी सेना के सैनिक बनेंगे।

मरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जबरदस्त साबित होगी कि उसे लडना ही नही पडेगा। "हुकारेणैव धनुष।" तीर छोडने की भी जरूरत नही है। वैसे ही, हमारे सेनाके हुकारसे ही काम हो जायेगा। जब लाखों गरीब लोग दान देगे, तो बिना लडाई लडे काम हो जायेगा। भगवान् को जब गोवर्धन खडा करना था, तो उस ने सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ। यह एक जनशक्ति निर्माण करने की बात है, इसलिये हम गरीबो से दान लेते है।

परिशिष्ट न. ५

शिबिरका पाठ्यक्रम

१ भूदान आदोलन का इतिहास, आदोलन की व्यावहारिक जानकारी
२ भूदान आदोलन की अनिवार्यता और देश के अन्य कार्यक्रमो से इसकी विशेपता (क्राति और सुधार में क्या फरक है)
३ कानून और क्राति। कानूनसे क्रांति क्यो नही होती ?
४ सर्वोदय समाज का चित्र—भूदान यज्ञ असका प्रथम कदम
५ सपत्तिदान, साधनदान, श्रमदान
६ गरीबो से दान क्यों ?
७ ग्रामदान
८ भूदान यज्ञ की लोक नीति पक्षनिरपेक्षता
९ शासन निरपेक्ष समाज
१० भूदान अेव विश्व-शाति
११ शका समाधान
१२ १९५७ तक समयदान, जीवनदान
१३ पदयात्रा बाबत व्यावहारिक सूचनाअें

परिशिष्ट न. ६

कार्यकर्ता गांव में क्या करें ?

१ हर गाव में आम सभा करनी चाहिये। सभा के लिये खुद डुग्गी देकर लोगो को निमत्रण दे। सभा के पूर्व ही दो चार भाइओ से मिलकर उन्हें सभा में दान देने के लिये प्रवृत्त करे। सभा में दान मागना चाहिये।

२ केवल विचार प्रचार पर सतोष नही मानना चाहिये। भूदान संपत्तिदान पत्र मिलने चाहिये। ऐसे दान-पत्र मिलना ही अच्छे विचार-प्रचारका परिणाम हो सकता है।

३ भूदानपत्र का ग्राहक हरएक गाव में हो ऐसा पूरा प्रयत्न करे। साथ-साथ साहित्य बिक्री करे।

४ सभा के बाद गाव मे घर-घर जाकर दान मागना चाहिये।

५ गाव के कार्यकर्ता और दाताओ को गाव में घूमते समय साथ लेना चाहिये। उन्हे अगले पडाव पर भी साथ लेने की कोशिश करे। जनता को सप्ताह के समारोह के लिये निमत्रित किया जाय। दान के साथ-साथ पूरा एव आशिक समय देनेवाले कार्यकर्ता तैयार करना चाहिये।

६ गाव में जिनसे मिले उनके बाबत और गाव में भूमिहीन कितने हैं और जो काम गाव में सभा में हुवा उस बाबत नोटबुक में अहवाल लिखना चाहिये।

७ गाव में साहित्य या भूदान पत्र का सामूहिक वाचन हो ऐसा इतजाम करने की कोशिश करे।

• • •

परिशिष्ट नं. ७

भूदान यज्ञ समिति

श्री. ______________________

भूदान यज्ञ में आपने गांव ______________________

मौ. नं.. ________ तहसील ______________ जिला ______________

की ______________ अेकड़ जमीन दान दी इसके लिये भूदान समिति आपकी आभारी है। यह जमीन जब तक नहीं बांटी जाती तब तक उसकी जोत करना, लगान देना आदि जिम्मेवारी ट्रस्टी के नाते आप पर ही है। जमीन बांटी नहीं जाती तब तक खेती में से जो उपज होगी वह आप रख सकते हैं।

आपका

संयोजक

परिशिष्ट नं. ८

मेरे प्यारे भारतवासी बधुजनो,

आप सब लोग बहुत प्रेम से हमारी बात सुनने के लिए आए है। अपना यह आदोलन यह भू-दान का काम दिन-ब-दिन गहरा होते जा रहा है। यह आदोलन आप सब के हाथ में है।

पाच वर्ष पहले गरमी के दिनो मे मैं तेलगाना घूमता था। गरीबी और मारकाट के कारण—वहा जो विकट समस्या खडी थी, असके बारे में मेरा रोज चितन चलता था। एक दिन हरिजनो की माग पर मैंने धुवरा ग्रामवालो से भूमि-दान की बात कही। गाववालो ने यह बात मान ली। और मुझे पहला भूमि-दान मिला। अठारह अप्रैल, १९५१ का वह दिन था। असके बाद तेलगाना में दो महिनो में बारह हजार अेकड जमीन मिली। असुसे तेलगाना का वातावरण काफी शात हुआ। प नेहरूजी ने मेरे विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। अुस निमित्त से मैं पैदल-यात्रा पर निकल पडा और दिल्ली तक दो महिनें में करीब अठारह हजार एकड जमीन मुझे मिली। अुत्तर-प्रदेशवाले सर्वोदय प्रेमी कार्यकर्ताओ की माग पर मैंने अुत्तर-प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में भू-दान यज्ञ का प्रयोग आरभ किया। अुत्तर-प्रदेश में पाच लाख एकड का सकल्प करीब पूरा हुआ। अुत्तर-प्रदेश मे मगरोठ नाम का पहला गाव दान में मिला। बिहार ने २२ लाख अेकड जमीन दान दी। और भू-दान का अेक व्यापक दर्शन देखने को मिला। अुत्कल ने तो ९०० गाव ग्राम-दान में दिये। चालीस लाख अेकड से हिन्दुस्तान के भूमिहीनो का मसला हल होता है ऐसी बात नही। लेकिन यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, दरिद्रीनारायण की भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए जब मुझ से पूछते है आपका अब क्या है ? कितनी जमीन आपको चाहिए ? तो मैं जवाब देता हू "पाच करोड एकड", जो जमीन गैरकाश्त है अुसी की बात मै कर रहा हू। अगर परिवार में पाच भाओी है तो अेक छठा मुझे मान लीजिए। वैसे तो मुझे ३० करोड एकड दान करे क्योंकि जमीन का मालिक कोओी नही है। सब मदद करे तो १९५७ तक

यह हो सकता है। अेक दिन मे दिवाली मनायी जाती है। होली होती है तो अेक दिन में सब लोग तय करे तो हिन्दुस्तान की जमीन एक दिन मे वँट सकती है।

हर गाव में सभा होनी चाहिये। प्रार्थना कर के, गावके भलाई के बारे में सब को मिलकर सोचना चाहिये। इसमे हमारी "भू-दान-यज्ञ पत्रिका" काफी मदद दे सकती है। हा, अुसमे मारकाट की खबरे नही मिलेगी। न झगडे की खबरे मिलेगी। तो भू-दान-यज्ञ को हर गाव मे आना चाहिए।

इसके पीछे जो विचार है वह समझना कठिन नही है। सब लोग, छोटे-बडे लोग, देहाती लोग, शहर के लोग, पढे-लिखे लोग, और अपढ लोग सब समझ सकते है। इतना सादा विचार है।

यह विचार क्या है? जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी है, कोअी नही कह सकता कि मै हवा का मालिक हू, पानी का मालिक हू या सूर्य की रोशनी का मालिक हू, वैसे ही कोअी नही कह सकता कि मै जमीन का मालिक हू। जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी सब को मिलती है, वैसे ही धरतीमाता क्यो नही होनी चाहिए? क्या मा चाहती है कि कुछ बच्चो को सुख मिले और कुछ बच्चे को सुख न मिले? जब अेक सीधीसी माता, सब बच्चो को सुख मिले, यह चाहती है तो जाहिर है कि कृपालु, दयालु परमेश्वर जो माता है, जिसने हवा पानी और पृथ्वी दी है, अुसकी अिच्छा तो यही हो सकती है कि सबको समान सुख मिले, हर अेक को जमीन का टुकडा मिले, जैसे पानी का हिस्सा हर अेक को है, हवा का हिस्सा हर अेक को है वैसे जमीन का हिस्सा भी हर अेक को होना चाहिए।

भू-दान यज्ञ में दान शब्द आता है। दान याने समान बटवारा यह अर्थ रूढ करना है। और यज्ञ शब्द भी आता है। अिस यज्ञ में हिस्सा लेना हर अेक का कर्तव्य है। केवल बडे लोगो से जमीन लेना नही है। यह यज्ञ है अिसलिए गरीबो को भी अेक अेकड में से अेक डेसिमल देना है। और मुझे खुशी होती है कि बडे दिलवाले इन छोटे लोगा ने बहुत प्रेम से मेरी प्रार्थना

मान्य की हैं। इस यज्ञ में कअी शबरियों ने अपने बेर दिये है, कअी सुदामाओं ने अपने तंदुल समर्पण किये है। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि गरीबों से दान क्यों लेते हो?

मैं गरीबो से दान माँगता हूं अिसका मतलब यह नही है कि सब सरीखा दान दें। मध्यम श्रेणीवाले काश्तकार मुझे छठवाँ हिस्सा दें। बड़े-बड़े जमींदार थोड़ी-सी छोड़कर सब की सब दें। और गरीब भी कुछ न कुछ दें। गरीबो से चार कारणों के लिए मे दान मांगता हूं।

१. आज समाज में सब से दुखी बेजमीन लोग है। अुसकी तुलना में ५–१० अेकड़वाला ज्यादा सुखी है। हमारे घर मे कम भोजन होने पर भी यदि कोअी भूखा आता है, तो हम अुसे देते ही हैं। यही धर्म है। इसलिए गरीब को अपने से अधिक गरीब के लिए दान देना चाहिए।

२. आखिर हम सब को सिखाना चाहते है कि जमीन पर किसी की मालिकी ही नही रहनी चाहिए। आज जैसे श्रीमान अपने को जमीन का मालिक समझता है वैसे गरीब भी अपनी थोड़ी-सी जमीन का मालिक समझता है। छोटे लोग भी अपनी मालकी नही छोड़ते हैं। लेकिन जमीन का मालिक केवल परमेश्वर है। इसलिए सब को मालिकी छोड़नी है।

३. हम श्रीमानो से जमीन माँगें तो अुसके लिए हमारा असर होना चाहिए। लेकिन असर कैसे हो? हमारे पास क्या शक्ति है? क्या हमारे पास पिस्तौल है? पिस्तौल के ताकद पर हमारा विश्वास नही है। अुससे काम बिगड़ता है। इसलिए हम नैतिक शक्ति निर्माण करना चाहते है। जब हजारो गरीब दान देंगे तब नैतिक शक्ति पैदा होगी। और अुसका असर श्रीमानों पर होगा। पहले श्रीमान हमको टालते थे। लेकिन जब गरीबों ने दान की वर्षा की तो आखिर शर्म भी तो अेक चीज है। अिससे अेक हवा पैदा होती है और श्रीमानों पर असर पड़ता है।

४. मैंने तो कअी बार कहा है कि मैं अपनी सेना बना रहा हूं। जो गरीब लोग दान देते है अुन्ही की नैतिक शक्ति से हम आगे लड़ाअी लड़ेंगे, अगर

कभी लडाओी का मौका आया तो। लेकिन लडाई का मोका नही आयेगा अैसा मेरा विश्वास है। परन्तु अगर वे नही समझेगे तो मेरी सेना मे वे ही पुण्यात्मा आअेंगे, जिन्होने अपने जमीन का टुकडा दान में दिया है। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत अुठाया तब सब से कहा कि अपनी लाठी लगाओ। यह अेक जनशक्ति निर्माण करने की बात है।

भू-दान मे जो जमीन मिलती है, यह अुसी गाव के मजदूरो को आम सभा लेकर मुफ्त बाटते है। सब भूमिहीन मिलकर ही एक मत से बटवारा होता है। एक मत न होने पर चिट्ठी डाली जाती है।

भू-दान-यज्ञ के साथ-साथ सपत्ति-दान यज्ञ भी चल रहा है। मै चाहता तो हू कम से कम छठा हिस्सा। फिर लोग अपना कुछ भी दे। हम जिस से सपत्ति का दान लेगे अुस से पैसा नही लेगे। पैसा अुसी के पास रहेगा। वही खर्च करेगा। और हमारे पास सिर्फ हिसाब भेजेगा। हम अुसको किस तरह खर्च करना है अिसका मार्गदर्शन करेगे। हमारा अुस पर पूरा विश्वास है। वह अपनी अतरात्मा को साक्षी रखकर हर साल खर्च करेगा। जो हिस्सा देना है, वह जीवन भर देना है। कम-से-कम पाच साल के लिए तो देना ही है। सपत्तिदान का अुपयोग फिलहाल मुख्यत' तीन बातों में करने का सोचा है।

१ जिन भूमिहीन किसानो को भूमि दी जायेगी अुन को बीज, बैल, कुआं आदि के रूप में मदद करना। २ त्यागी सेवक वर्ग को अल्पतम निर्वाह के लिए मदद करना। ३ सर्वोदय साहित्य का प्रचार करना।

भूदान-यज्ञ में हर कोओ हाथ नही बँटा सकता। लेकिन सपत्ति-दान-यज्ञ में से कोओ नही छूट सकता। कोओ सार्वजनिक कार्यकर्ता कम-से-कम तनखा लेनेवाला इन सब को दान देना है। छठा हिस्सा न दें, रुपये में अेक आना या अेक पैसा दे तो भी चलेगा।

समाज में जब कुछ लोगो के पास अधिक सपत्ति है, अधिक भूमि है, और कुछ लोगो के पास बहुत कम सपत्ति या बिलकुल कम भूमि है,

तबतक समाज सुखी नही, दुखी कहलायेगा। समाज में कशमकश और झगडे होगे।

पाच पाडव थे, अैसा आप जानते है। वे पाच नही थे। अुनमे छठा भी था। अुसका कर्ण नाम था। अुसको वे भूल गये। अुससे दुश्मनी हो गयी। और महाभारत की लडाअी हुअी। तो भाअियो! हम कहते है कि आपके परिवार में पाच है, अुसमें अेक और है जिसे रहने के लिए घर नही हैं, जिसके बच्चे को तालीम नही है। बिमार पडने पर जिसको दवा नही है। वह आपका भाअी गाव में है। अुसका अेक हिस्सा दीजिए। हक के तौर पर दीजिए, हम भीख नही मागते।

कुछ लोग अैसा भी आक्षेप अुठाते है कि आप छोटे-छोटे लोगो से दान लेते है, अिससे जमीन के टुकडे हो जाअेंगे। लेकिन भाअियों! आज दिलो के जो टुकडे हो गये है वहा जमीन क्या जोड सकती है? जमीन आसानी से जोडी जा सकती है, अगर दिल जुट जाय। छोटे टुकडो में भी अच्छी मेहनत करने पर अधिक पैदा होता है यह मेरा अनुभव है। मजदूर को यदि जमीन मिलती है, तो वह प्रेम से टुकडो में भी काश्त करता है और अिससे फसल भी बढेगी। लोग कहते है,कानून से यह काम हो सकता है,आप नाहक को पैदल घूमते हैं। कानून से जमीन तो मिल सकती है। लेकिन कानून से गरीब और अमीरो में प्रेम नही पैदा किया जा सकता। वह दान देने से ही हो सकता है। जमीन तो एक निमित्त है। मैं प्रेम धर्म का प्रचार करने निकला हू। अिससे वातावरण पैदा होगा और कानून करने में भी सहूलियत होगी। हम चाहते हैं कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता अेक हो जायें, और सब समूचे हिंदुस्तान के गरीबों का भला करे। कुछ लोग अमीरो का पक्ष लेते है और कुछ लोग गरीबों का पक्ष लेते हैं। हम कहते है कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं। सब भाअी-भाअी है। चाहे कोअी श्रीमान हो, कोअी गरीब हो। चाहे कोअी ब्राह्मण हो या शुद्र हो। चाहे कोअी कुष्ठ रोगी हो। आप सब सोचे। बाबा की बात तो हमने सुनी लेकिन हमने कुछ दिया कि नही? हमारी बात सुनने से मोक्ष नही मिलेगा। अुस पर अमल करने से मोक्ष मिलेगा। लोगो

कों आदेश देनेवाला मैं नेता नही हू। ग्रामिणो की सेवा को ही अपनी परमार्थ साधना समझनेवाला मैं अेक भक्तिमार्गी मनुष्य हू। आज अगर गाधीजी होते तो अिस तरह लोगों के सामने अुपस्थित मैं नही होता। बल्कि वही देहात का भगी काम और वही कांचन-मुक्ति खेती का प्रयोग करता हुआ मैं आपको दिखाओी देता।

मेरी प्रार्थना है कि आज देने का मौका आया है। आप सब लोग दिल खोलकर दीजिए। मैं तो गरीब श्रीमान सब का मित्र हू। अब लोग दान देने लगे हैं। एक जगह हरीजनो के लिए मैंने ८० एकड माँगी और एक भाओी ने १०० एकड दी। नलगुडा के अेक भाओी आये। अुन्होंने पहिले ५० एकड दी थी और बाद मे अुन्होंने ५०० एकड दे दी। अुनके हिस्से की जमीन का ये चौथा हिस्सा होता है। अेक बूढी मा के पास १२ एकड जमीन थी। मैंने अुसे जमीन मागी तो अुस ने मुझे कहा, मेरे घर में पाच लडके हैं। मैं कैसे दान दू? मैंने पूछा अगर छठवाँ होता तो अुस को बराबरी का हिस्सा मिलता। मिलता या नही? अुस ने कहा, हा। मैंने कहा, यही समझो कि मैं छठवाँ हू। और मझे भी कुछ दे दो। अुस बूढी मा ने दो एकड का दान दिया।

एक भाओी छ मील दूरी से आये थे। अुन्होंने छ अेकड में से अेक अेकड दीया। वैसे ही यह हुआ न हुआ तो एक दुसरे भाई जो दूरी से आये थे, ५२ एकड देकर चले गये।

जहा मैं दान लेता हू वहा भ्रातृ-भावना की, मैत्री की और गरीबोंके लिए प्रेम की आशा करता हू। जहा दूसरो की फिक्र की भावना जागती रहती है, वहा समत्व-बुद्धि प्रगट होती है। वहा वैरभाव टिक नही सकता।

यह भूदान-यज्ञ अेक अहिंसा का प्रयोग है। जीवन परिवर्तन का प्रयोग है। अिस काम के लिए आप लोग जीवन दान दें। जो जीवन-दान देगा वह भूमि, सपत्ति का दान देगा। खादी पहनेगा। शराब, गाजा, जुआ आदि बुरे व्यसन छोड देगा। चुनावमें खडा नही होगा। सब के भले की बात सोचेगा। अिस जीवनदान में हजारो लोगो ने हिस्सा लिया है। अिस से

आपका जीवन शुद्ध होगा। आपका भला ही भला होगा। मैं तो निमित्त मात्र हू। आप भी निमित्त मात्र हैं। परमेश्वर आप मुझ से काम कराना चाहता है। इसलिए मै माग रहा हूं। तब आप लोग भू-दान, संपत्ति-दान, जीवन-दान दीजिए। और दिल खोलकर दीजिए। जहां लोग अेक फूट जमीन के लिए झगड़ते है, वहा मेरे कहने से सैकड़ो हजारों एकड़ जमीन देने के लिए तयार हो जाते हैं। तो आप समझिये कि यह परमेश्वर की प्रेरणा है। इसके साथ हो जाअिये। अिसके विरोध मे मत खड़े होईये। अिसमें से भला ही भला होगा।